

G.P. 3  
20/11/13

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013

**HARI KISHORE BHAGAT**

..... **Petitioner.**

**Versus**

The State of Bihar & Others

.....**Respondents.**

**INDEX**

**SUBJECT:** Trade & Commerce

**Sl. No.**

**Page No.**

1. Petition under Art. 226 of the Constitution of India along with affidavit. 1-13 14
2. Annexure- 1 - A true typed/photocopy of the notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) - 15-16
3. Annexure - 2 & 2/A - True typed/photocopies of the report of the Halka Karamchari dated 15.12.2008 - 17-18

and Certificate dated 25.12.2008 bearing letter No. 18.

4. Annexure - 3 - A true typed/photocopy of the application — 19-21  
of the petitioner dated 24.12.2008.
5. Annexure - 4 - A true typed/photocopy of the legal — 22-24  
notice dated 11.12.2012.
6. Annexure - 5 - A true typed/photocopy of the letter — 25-26  
dated 10.01.2013.
7. Annexure - 6 series - True typed/photocopies of the — 27-28  
representation dated 20.08.2013 along with  
registration receipts.
8. Vakalatnama.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013

**HARI KISHORE BHAGAT**

..... **Petitioner.**

**Versus**

The State of Bihar & Others

.....**Respondents.**

**SYNOPSIS**

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court on the ground i.e. –

- I. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) by the Respondent No. 5, because the Respondents No. 4 & 5 while issuing notice, stake claim of Rs. 7,23,082/- calculated upto 31.10.2012, without considering the fact that entire establishment of M/s Puja Enterprises, Murliganj,

Madhepura was totally ruined during the unprecedented flood of 2008, hence the notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) be declared as per-se illegal, unauthorized, malafide and colourable exercise of power at the behest of the Respondents No. 4 & 5.

- II. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002), as while initiating the process under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002), the Respondent No. 4 & 5, completely failed to appreciate that the Respondent No. 3 in his certificate dated 25.12.2008 bearing Certificate Number 18

III. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) by the Respondent No. 5, as the Respondents No. 4 to 6 completely ignored and discarded this fact that entire assets of M/s Puja Enterprises was duly insured, but the Respondents No. 4 to 6 instead of making settlement of loan from the Insurance Company, shifted entire liability upon the petitioner.

IV. To issue a writ in the nature of mandamus commanding the Respondent No. 3 to 6 to first settled the dues with the Insurance Company and thereafter communicates information to the petitioner, so that the petitioner can liquidate the entire remaining outstanding dues.

V. Any other relief or reliefs.

2. Annexure -1- That the Respondent No. 5 issued a notice

under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002). It will be evident from the perusal of the said notice the total financial liability was calculated upto 31.10.2012, to a tune of Rs. 7,23,082/-.

3. Annexure -1- **(15.12.2008) & (25.12.2008)** That the petitioner filed an application in order to assess the loss incurred to the petitioner. In pursuant to the application filed by the petitioner, the Halka Karamchari submitted his report on 15.12.2008 and accordingly the Respondent No. 3 issued a certificate in favour of the petitioner on 25.12.2008 bearing Certificate No. 18.
4. Annexure -3- **(24.12.2008)** That the petitioner filed a detailed representation along with respective

photographs before the Respondent No. 4 on 24.12.2008, stating therein that the amount of insurance of M/s Puja Enterprises, Murliganj, Madhepura be adjusted and the remaining outstanding amount be transmitted, so that the petitioner may liquidate his outstanding dues.

5. Annexure -4-  
**(11.12.2012)** That the petitioner sent a legal notice through his counsel before the Respondent No. 4 on 11.12.2012 in order to ventilate the grievances of the petitioner.
6. Annexure -5-  
**(10.01.2013)** That in pursuant to the legal notice dated 11.12.2012, the legal advisor of the Respondent No. 4 sent his reply on 10.01.2013, denying the insurance claim of the petitioner and further directed the counsel for the petitioner to approach

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013

In the matter of an application  
under Article 226 of the  
Constitution of India.

AND

In the matter of

**HARI KISHORE BHAGAT,** S/o - Shri Anarchand Bhagat,  
resident of village - Jairampur P.O + P.S - Murliganj, District -  
Madhepura.

.....**Petitioner.**

**Versus**

1. The State of Bihar.
2. The District Magistrate-cum-Chairman, Disaster  
Management, Madhepura.
3. The Block Development Officer-cum-Circle Officer, Block -  
Murliganj, District - Madhepura.



4. The Central Bank of India, represented through its Branch Manager, the Central Bank of India, Murliganj, Madhepura.
5. The Authorized Officer, the Central Bank of India, Murliganj, Madhepura.
6. The Chief Manager (Rural), the Central Bank of India, Saharsa.

.....**Respondents.**

To,

The Hon'ble Justice Ms. Rekha M. Doshit, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

**MOST RESPECTFULLY SHWETH :**

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court on the ground i.e. –
  - I. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the

Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002), as while initiating the process under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002), the Respondent No. 4 & 5, completely failed to appreciate that the Respondent No. 3 in his certificate dated 25.12.2008 bearing Certificate Number 18 categorically pointed out "प्रमाणित किया जाता है कि हल्का कर्मचारी, नगर पंचायत, श्री उपेन्द्र प्रसाद यादवजी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अगस्त, 2008 के कोशी प्रलयकारी बाढ़ के दौरान मुरलीगंज नगर क्षेत्र स्थित 'पूजा इन्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री हरि किशोर भगत, पिता - श्री अनारचंद भगत, ग्राम + पोस्ट - मुरलीगंज जयरामपुर का' पूजा इन्टरप्राइजेज में कोशी के बाढ़ का पानी लगभग 4'-5' अन्दर चला गया जिसका इनके दुकान की काफी क्षति हुई" but the Respondent No. 4 & 5 in complete ignorance of the report submitted by the

Respondent No. 3, proceeded against the petitioner. Hence, the action pertaining to Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) be quashed, as the petitioner made his request to compensate the loss incurred to the petitioner.

- III. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) by the Respondent No. 5, as the Respondents No. 4 to 6 completely ignored and discarded this fact that entire assets of M/s Puja Enterprises was duly insured, but the Respondents No. 4 to 6 instead of making settlement of loan from the Insurance Company, shifted entire liability upon the petitioner.

IV. To issue a writ in the nature of mandamus commanding the Respondent No. 3 to 6 to first settled the dues with the Insurance Company and thereafter communicates information to the petitioner, so that the petitioner can liquidate the entire remaining outstanding dues.

V. Any other relief or reliefs.

2. That the petitioner is a citizen of India and residing under the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court and as such having right to sue for protection of his statutory right.
3. That it is relevant to state here that the Respondent No. 5 issued a notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002). It will be evident from the perusal of the said notice the total financial liability was calculated upto 31.10.2012, to a tune of Rs. 7,23,082/-.

A true typed/photocopy of the  
notice under Section 13 (2) of  
the Securitization and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) is annexed herewith and marked as Annexure -1.

4. That it is relevant to state here that the petitioner applied for financial assistance before the Respondent No. 4 and the Respondent No. 4 after following due process of law and due procedure of law and further after thorough satisfaction of security, sanctioned a sum of Rs. 4,50,000/- which was issued in favour of M/s Puja Enterprises, Murliganj, Madhepura. The said amount was sanctioned on 12.05.2008.
5. That it is relevant to state here that unprecedented flood affected life and property of the public at large and in that unprecedented flood the petitioner became worst victim as entire establishment of M/s Puja Enterprises, Murliganj,

Madhepura were ruined. Needless to clarify here that nothing left for the petitioner for his survival.

6. That it is relevant to state here that the petitioner's entire establishments were ruined and became insignificant.
7. That it is relevant to state here that the entire assets of M/s Puja Enterprises, Murliganj, Madhepura were duly ensured by the bank, itself. So, it was incumbent upon the bank to recover the admitted loss incurred to the petitioner by the said unprecedented flood. A list of entire damaged goods was duly prepared by the petitioner on 30.07.2008.
8. That it is relevant to state here that the Central Government under the disaster management constituted a committee headed by the Respondent No. 2.
9. That it is relevant to state here that the petitioner filed an application in order to assess the loss incurred to the petitioner. In pursuant to the application filed by the petitioner, the Halka Karamchari submitted his report on 15.12.2008 and accordingly the Respondent No. 3 issued a

certificate in favour of the petitioner on 25.12.2008 bearing Certificate No. 18.

True typed/photocopies of the report of the Halka Karamchari dated 15.12.2008 and Certificate dated 25.12.2008 bearing letter No. 18 are annexed herewith and marked as Annexure - 2 & 2/A.

10. That it is relevant to state here that the petitioner filed a detailed representation along with respective photographs before the Respondent No. 4 on 24.12.2003, stating therein that the amount of insurance of M/s Puja Enterprises, Murliganj, Madhepura be adjusted and the remaining outstanding amount be transmitted, so that the petitioner may liquidate his outstanding dues.

A true typed/photocopy of the application of the petitioner

dated 24.12.2008 is annexed  
herewith and marked as  
Annexure -3.

11. That it is relevant to state here that the petitioner sent a legal notice through his counsel before the Respondent No. 4 on 11.12.2012 in order to ventilate the grievances of the petitioner.

A true typed/photocopy of the  
legal notice dated 11.12.2012  
is annexed herewith and  
marked as Annexure -4.

12. That it is relevant to state here that in pursuant to the legal notice dated 11.12.2012, the legal advisor of the Respondent No. 4 sent his reply on 10.01.2013, denying the insurance claim of the petitioner and further directed the counsel for the petitioner to approach before the Respondent No. 4 in order to ventilate the grievances of the petitioner.

A true typed/photocopy of the  
letter dated 10.01.2013 is



application, issue Rule NISI, calling upon the Respondents as to why relief sought for in paragraph 1 of the instant writ application be not granted in favour of the petitioner.

AND

Or pass such other order or orders as your lordship may deem fit and proper.

AND

For this the petitioner shall ever pray.

## A F F I D A V I T

I, **Hari Kishore Bhagat**, aged about 62 Years, S/o - Shri Anarchand Bhagat, resident of village - Jairampur P.O + P.S - Murliganj, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am sole petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this petition have been read over by me which is understood and they are true to my knowledge and belief.
3. That the statement made in paragraphs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 are true to my knowledge and the statements made in paragraphs 3, 9, 10, 11, 12, 13 are derived from the records of the case and rests are by way of submissions.
4. That the annexures are true typed/photo copies of their respective originals.

ZIR 13/11/2017

सेवा में - श्री हरि किशोर, नगत

S/o - अनारकट, नगत

अनुलग्नक- 1

ग्राम - अश्वरामपुर, मुरलीगंज

वित्तीय आस्तियों का प्राप्तिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन मधुपुरा अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस

श्री. पुजा इंटरप्र्राइजे

हमने आपके अनुरोध पर आपको कुल रू० 4,50,000/- राशि की ऋण सीमाएं प्रदान की हैं तथा हमारे द्वारा प्रदत्त विभिन्न ऋण सुविधाओं का निवरण निम्न प्रकार है:-

(क) CT-24 (1866820567)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

इत्यादि

हम आपको सूचित करते हैं कि रू० 723082/- की कुल राशि जो दिनांक 31/10/12

(इस नोटिस की तिथि) को देय थी, में से केवल रू० की अदायगी की

है अतः आपने रू० की राशि की अदायगी में चूक की है (जो इस नोटिस की तारीख को ब्याज सहित देय मूल राशि दर्शाती है)

अथवा

हम आपको सूचित करते हैं कि रू० की कुल देय राशि, जो दिनांक

(इस नोटिस की तिथि) को देय थी, में से आपने रू० की संपूर्ण राशि की

अदायगी में चूक की है ( जो इस नोटिस की तिथि पर देय ब्याज सहित मूल राशि को दर्शाता है)

3. चूंकि आपने संपूर्ण देयताओं की अदायगी में चूक की है, अतः हमने बैंक के दिशा निर्देशों / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशा निर्देशों के अनुसार आपने बकाया राशि को अनर्जन आस्ति में वर्गीकृत किया है।

4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि संपूर्ण राशि की अदायगी के लिए हमारे स्तर से बारम्बार नोटिस दिये जाने तथा मौखिक अनुरोध करने पर भी, आपने उक्त देय राशि की अदायगी नहीं की है।

5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋण सीमाएं निम्नलिखित आस्तियों / प्रतिभूति करारों ( प्रतिभूति आस्तियों ) के तहत सुरक्षित है।

(क)	प्रीजा	राजा	खिसरा	रकवा	जौहरी
(ख)	अश्वरामपुर	A/K	830	B.K.D	3 - नन्दी मंडल
(ग)			897	0-02-15	2 - तेजी मंडल
(घ)				0-02-05	2 - सामदेव मंडल
(ङ)					5 - लोदाय मंडल
				इत्यादि	
				05-00	3 - नन्दी मंडल
					2 - तेजी मंडल
					2 - सेमलाल मंडल
					5 - सेमलाल मंडल

6. उपयुक्त कथित कारणों को बजह से हम एतद द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर अपनी पूरी देयताओं की अदायगी करें, जिसमें चूक होने पर हम उल्लिखित प्रतिभूति आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे, इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ (1) प्रतिभूत आस्तियों की वसूली हेतु उधारकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के साथ-साथ इसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से अंतरण का अधिकार भी शामिल है। (2) प्रतिभूत आस्ति में वसूली हेतु उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन के अधिकारों के साथ-साथ इसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से अंतरण के अधिकार शामिल हैं। (3) जिन प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के साथ-साथ (1) प्रतिभूत आस्तियों की वसूली हेतु उधारकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के साथ-साथ इसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से अंतरण के अधिकार शामिल हैं। (3) जिन प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा हमने (प्रतिभूत लेनदार) लिया है, उसके प्रबंधन के लिए किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के रूप में नियुक्त करना, तथा हमारे द्वारा जारी की गई प्रतिभूत आस्ति के अंतरण में अंतरिती के पास इस अंतरण आस्ति में निहित अथवा इससे संबंधित सभी अधिकार होंगे, मानो कि यह अंतरण आपने किया हो। (4) किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति को, जिसने आपसे कोई भी प्रतिभूत आस्ति अर्जित की है तथा जिससे आपको कोई राशि देय है अथवा आपको देय होगी, हमें (प्रतिभूत लेनदार को) वह राशि अदा करनी पड़ेगी, जो प्रतिभूत ऋण की अदायगी के लिए प्रयाप्त है। उपरोक्त उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग से वसूली गई राशि का सन्तुष्ट पहले सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों, जो हमारे मतानुसार हमारे द्वारा समुचित ढंग से किए गए खर्च अथवा इससे प्रासंगिक कोई खर्च हो, के प्रति समायोजित की जाएगी, तथा इसके बाद नोटिस की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक सख्खिदात्मक दर में व्याज सहित उल्लिखित देय के भुगतान में समायोजित करने के पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो उस व्यक्ति को, जो इसमें निहित अपने अधिकार एवं हित के अनुरूप हकदार होगा, प्रदान की जाएगी तथा यदि कोई व्यक्ति इस राशि को प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है तो वह आपको प्रदान की जाएगी।
7. कृपया नोट करें कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् इस नोटिस में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्तियों को प्रतिभूत लेनदार की पूर्ण स्वीकृति के बगैर बिक्री, पट्टा अथवा अन्यथा अंतरित नहीं करेंगे। हम आपको ध्यान दिलाने के लिए प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 29 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार यदि उधारकर्ता अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करते हैं तो एक वर्ष तक का कारावास अथवा अर्धदंड सहित, अथवा दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं।
8. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत हमारे द्वारा की गई कार्रवाई अथवा कार्यवाही के बावजूद, (क) आपसे तथा/अथवा गारंटीकर्ताओं से बकाया देय राशि की वसूली के लिए डीआरटी / न्यायालय के समक्ष आपके तथा / अथवा गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध साथ-साथ दावा दायर करने / आवेदन प्रस्तुत करने, मामले पर कार्यवाही करने का (ख) यदि प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सख्खिदात्मक दर से प्रमाणित व्याज सहित सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्ण समायोजन नहीं हो पाता है तो बकाया देय राशि की वसूली के लिए आपके तथा / अथवा गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध ऋण वसूली ट्रिब्यूनल / न्यायालय में कार्रवाई करने का (ग) वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आपके द्वारा कृत कार्यवाही अथवा चूक के लिए आपके तथा / अथवा गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का (घ) समाचार पत्रों तथा / अथवा पत्रिकाओं तथा / अथवा वेबसाइटों पर बैंक-देयों के चूककर्ता के रूप में फोटोग्राफ सहित आपका नाम तथा पता प्रकाशित करने का हमारा अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी

सेवा में,

श्री मा० अंजनाप्रकाश मंडल  
मुरलीगंज, मधुपुरा

विषय- प्रत्येकी काद से कुछ बुकलान का आकलन करने के लिये।

महोदय,  
अरोक्त विषय के सिद्ध में कहा है कि श्री हरिकेश मंडल, पिता- अग्र-वृद्ध मंडल, आदि मंडल मुरलीगंज, जयराजपुर का निवासी हैं। मुरलीगंज सिनेमा हॉल चौक पर 'N.M. 107' के पूरा में दुकान "यूना इन्टर प्राइज" है जिसमें प्रत्येकी काद के आने के कारण में लगभग 500000: पौ-पणा रुपये प्रत्येक का लाना करीब हो गया है।

अतः श्री मा० से निकलना है।  
मेरी कर्तव्य का वही आकलन का मुझे कति प्रमाण पर ही वह भी मुझे हस्तांतरित की कृपा की जाय

विवाहप्रमाण-  
हरिकेश मंडल  
पते पर यूना इन्टर प्राइज  
नया सिनेमा हॉल चौक  
मुरलीगंज मधुपुरा

प्रत्येक के दुकान के  
प्रत्येकी काद के दौरान  
पाना 50 फीट पानी दुकान  
के अन्दर ला गला था  
आवेक के दौरान का धारा  
समान कतिप्रमाण से गया है  
अथे कति प्रमाण का दिया जा सकता है

JKL  
15/11/08  
ह.क. ना.पं. मुरलीगंज

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी महोदय,  
मुरलीगंज, मधेपुरा।

विषय: प्रलयकारी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना हे कि मैं हरि किशोर भगत, पिता - श्री अनारचंद भगत, ग्राम + पोस्ट - मुरलीगंज जयरामपुर का निवासी हूँ। मुरलीगंज सिनेमा हॉल चौक पर के पूरब मेरा दुकारन 'पूजा इन्टरप्राइजेज' हूँ जिसमें प्रलयकारी बाढ़ के आने के कारण मेरा लगभग 5,00,000/- पाँच लाख रुपये मूल्य का सामान बर्बाद हो गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी बर्बादी का सही आकलन कर मुझे क्षति प्रमाण पत्र की एक प्रति मुझे हस्तगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

हरिकिशोर भगत  
मेसर्स पूजा इन्टरप्राइजेज,  
नियर सिनेमा हॉल चौक,  
मुरलीगंज, मधेपुरा।

महाशय,

आवेदक के दूकान में प्रलयकारी बाढ़ के दौरान लगभग 5' फीट पानी दूकान के अन्दर आ गया था। उक्त आवेदक के दूकान का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे क्षति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

ह0/-

15.12.08

ह0क0, न0 पं0, मुरलीगंज

Anexure-5

बाढ़ आपदा प्रमाण पत्र  
 अंचल - मुरलीगंज, सबडिविजन - मधेपुरा  
 जिला - मधेपुरा

प्रमाण पत्र सं० - 18 दिनांक - 25/12/08

प्रमाणित किया जाता है कि इलाका कार्यकारी  
 नगर पंचायत श्री उपेन्द्र को चाकजी के गाँव  
 त्रिवेदन के झंकार पर अगस्त 2008 के कोशी  
 परियोजना बाढ़ के दौरान मुरलीगंज नगरक्षेत्र  
 स्थित "पूजा इन्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री  
 शैलेशोर्भगत पिता - अनारचन्द्र भगत, ग्राम - पिक  
 मुरलीगंज जयरामपुर का "पूजा इन्टरप्राइजेज  
 में कोशी के बाढ़ का पानी लगभग 4" - 5" फीट  
 अन्दर चला गया, जिस कारण इनके दुकान  
 में काफी क्षति हुई।



*(Signature)*


प्रमाणित पदाधिकारी  
 सह  
 अंचल अधिकारी  
 मुरलीगंज (मधेपुरा)





20

बोसा नहीं NOT INSURED	क्रमांक No
लगाये गये टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	
एक रजिस्ट्री* Received a Registered	
पानेवाले का नाम Address to	
<i>हरम</i>	
Signature	



Docu 21

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

To: MUKHYA MANTRI, NITISH KR. SHARMA  
PATNA GPO, PIN: 800001  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:54  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 91333  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: ADHYAKSH C B I, MARMIN POINT  
MUMBAT, PIN: 800001  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:54  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 91334  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: RAJAD BANEAD RAJESH, RAJAN  
N DELHI  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:55  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
SPEE 8833280782 IN  
Counter No: 1 OP-Code: FFCM  
To: JILA UP BASKTA, PADAMHAKARI  
Madhepura HDG, PIN: 847  
From: HARI KISOR BHAGAT, NURLIGANI  
Wt: 30grams,  
PS: 12.00, 24/12/2008, 11:57  
Taxe: Rs. 1.32 <<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
SPEE 8833280682 IN  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: JILA, PADAMHAKARI  
Madhepura HDG, PIN: 847  
From: HARI KISOR BHAGAT, NURLIGANI  
Wt: 30grams,  
PS: 12.00, 24/12/2008, 11:57  
Taxe: Rs. 1.32 <<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 9128  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: CENTRAL BANK OF INDIA, ANCHALIT  
PATNA  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:51  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 9129  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: RANESH KESHAV, KUMARKHAND  
PATNA  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:51  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 9130  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: CENTRAL BANK OF INDIA  
SHARDA  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:52  
<<Have a nice day>>

Gupta Printing Works, Delhi Ph. : 9810103885

MADHEPURA HDG <852113>  
R.L.A. 9131  
Counter No: 1, OP-Code: FFCM  
To: B M D S I OF INDIA  
NURLIGANI, PIN: 852122  
INDIA POST  
Wt: 18grams,  
PS: 22.00, 24/12/2008, 11:53

T.C. 02003

सेवा में,

श्रीमान शाखा प्रबंधक,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
शाखा : मुरलीगंज,  
थजला : मधेपुरा।

विषय: प्रलयकारी बाढ़ में पूजा इन्टरप्राइजेज का सारा समान क्षतिग्रस्त होकर बह जाने के सन्दर्भ में। तथा क्षतिग्रस्त राशि बीमा कम्पनी से मुहैया कराने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन है कि मैं हरि किशोर भगत, प्रो० पूजा इन्टरप्राइजेज, मुरलीगंज आपकी शाखा से दिनांक 12.05.2008 को ₹ 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार) मात्र नगद ऋण के रूप में जो पान मसाले तथा पेपर प्लांट हेतु कर्ज लिए थे जो दुर्भाग्यवश प्रलयकारी बाढ़ में मेरी दूकान की लगभग सारी सम्पत्ति बह गया है। तथा घर भी काफी नष्ट हो गया है। जिससे मेरे उपरोक्त दूकान की कुछ भी सम्पत्ति नहीं बचा है। ताकि मैं दूकान की सम्पत्ति बेचकर अपने ऋण खाता में कर्ज हमा कर सकूँ।

महाशय से पुनः निवेदन है कि उपरोक्त क्षति की बीमा कम्पनी से दावा कर मेरे ऋण खाता समायोजन करने की कष्ट करें क्योंकि अब मैं किसी भी हालत में बैंक ऋण देने में असमर्थ हूँ। दिनांक 26.09.2008 को शाखा मुरलीगंज में आपसे उपरोक्त दुर्घटना की जानकारी लिखित रूप में देने गए तो आपने मुझे ये कह के लौटा दिए कि तुम्हारा बीमा नहीं है। तुम्हें कोई दावा नहीं मिल सकता है तथा दिनांक 01.10.2008 को दुर्घटना की जानकारी आपको दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद आज तक नहीं दिया गया।

महाशय निवेदन है कि मेरी ऋण की राशि को आपके द्वारा अगर बीमा नहीं कराया गया है तो इसके जिम्मेवार आप हैं ना कि ऋणी। क्योंकि बैंक के नियमानुसार ऋण खाता को ऋण के पश्चात बीमा कराना आपका ही कार्य है न कि ऋणी का।

पुनः आप से निवेदन है कि इस प्रलयकारी बाढ़ में बह जाने के कारण मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूँ तथा उपरोक्त ऋण राशि बीमा कम्पनी द्वारा या बैंक द्वारा कर्ज ऋण खाता की राशि को समायोजन कर मुझे दिलाने का कष्ट करें। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् नितिश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार।
2. सांसद महोदय, श्रीमान् राजेश कुमार
3. श्रीमान् रमेश ऋषिदेव, विधायक महोदय।
4. श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा।
5. श्रीमति अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई।
6. श्रीमान् आंचलिक प्रबंधक महोदय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना।
7. श्रीमान् क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सहरसा।
8. श्रीमान् जिला उपभोक्ता कार्यालय, मधेपुरा।

पार्थी

संलग्न : पूजा इन्टरप्राइजेज, मुरलीगंज  
सारा सामान बाढ़ में बहने का  
दृश्य की फोटोग्राफी तथा अखबार  
की छायाप्रति।

बाढ़ पीड़ित

श्री हरि किशोर भगत  
नगर पंचायत - मुरलीगंज वार्ड नं० - 05  
जिला - मधेपुरा।

वकालतन नोटिस अंदर धारा - 80 सी.सी.  
=====

प्रेषक : श्री सचिन्द्र महतो § अधिवक्ता §  
अवहार न्यायालय , मधेपुरा

द्वारा

श्री हरिकृष्णोर भगत पिता अनारधन्ध भगत  
ग्राम- जयरामपुर , पो० मुरलीगंज जिला- मधेपुरा

प्रेषित : शाखा प्रबन्धक महोदय  
सेन्ट्रल बैंक , मुरलीगंज ।

महाशय ,  
मेरे उपरोक्त मुवक्किल के मौखिक कथन एवं उनके द्वारा प्रदर्शित  
कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मेरे मुवक्किल ने सेन्ट्रल बैंक मुरलीगंज  
से दिनांक 12-05-2008 को ₹ 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) रुपये का  
लोन पूजा इन्टर प्राइजेज मुरलीगंज के नाम से लिया था।

यह कि अत्यंत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्त ऋण निर्यात के कुछ  
ही महीनों के बाद कुसहा तासदी का भयंकर प्रकोप हम कोशाली वासियों को  
झेलना पड़ गया जिसमें हमारे उपरोक्त मुवक्किल का पूजा इन्टर प्राइजेज का  
सारा सामान पानी में डुबकर और बहकर क्षतिग्रस्त एवं बर्बाद हो गया।

- यह कि मेरे उपरोक्त मुवक्किल का सिर्फ पूजा इन्टर प्राइजेज का सामान ही नहीं  
बल्कि उनकी अपनी अन्य नीज संपत्ति का भी विनाश हो गया , जो हमारे  
मुवक्किल की कमर ही तोड़ डाली । ऐसी अवस्था में मेरे उपरोक्त मुवक्किल  
ने मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपसे बीमार हो गये और ईश्वर की कृपा  
रही कि मेरे उपरोक्त मुवक्किल ये त्रासदी एवं विनाश झेल गये।

- यह कि ऐसी अवस्था में मेरे उपरोक्त मुवक्किल को आशा की एक किरण  
नजर आयी कि उसने जो ऋण बैंक से लिया था उनका बीमा होगा और बीम

(29)

3.

ऐसा मार्गदर्शन करे ताकि उनको भी श्रम भुगतान में सुलभ हो और आपके सम्मान में आपके बैंक का श्रम भी वसूली हो जाये।

- यह कि ~~हम~~ आप एक सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी है सर्व क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ आपसे छुपी नहीं है , साथ ही मेरे मुवज्जिल की परेशानी , बर्बादी एवं वास्तवी भी आपसे छुपा नहीं है , ऐसी हालात में अगर आप चाहेगें तो मेरे मुवज्जिल की समस्याएँ दूर हो सकते हैं ।

यह कि सनद रहे कि भविष्य की कार्यवाही हेतु इस नोटिशा की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है।

इतना विश्वास के साथ ।

आपका

सचिव प्रमोद  
एम्प्लॉय

11.12.12

अधिपक्ता

व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

जो हमेशा विकास को प्राथमिकता देती है, ऐसी स्थिति में आप अपने मोवकिल को निर्देश दें कि वो शाखा प्रबंधक से मिलकर बैंक द्वारा ऋण के ब्याज में मिलने वाली छूट के संदर्भ में विस्तृत जानकारी लें एवं ब्याज का छूट का लाभ लें, ताकि ससमय ऋण किस्तों का भुगतान किया जा सके ।

यह कि सनद रहे कि उक्त प्रतिउत्तर की एक प्रति आइन्हे कार्रवाई हेतु सुरक्षित रखी जाती है ।

आपका

दिनांक :

*Kesav Sahay*  
 §अजय कुमार सहाय§ 11/12/23

अधिकता

व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा ।

सेवा में,

श्रीमान् शाळा पुबन्धक महोदय,  
सेन्दल बैंक, मुरलीगंज, मधेपुरा ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं हरिकेशोर भगत पिता-अनारचन्द भगत ग्राम-जयरामपुर, पो0-मुरलीगंज, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा का निवासी हूँ । मेरे द्वारा आपके बैंक से लिए गए ऋण की राशि मो0- 45,0000/- [चार लाख पचास हजार] के उपरांत एवं मेरे द्वारा अलग से और पूँजी लगाकर मेरे द्वारा " पूजा इन्टर प्राइजेज " की आप तवों की जानकारी में प्रारंभ की गयी थी । परन्तु वर्ष 2008 में मधेपुरा जिले में आई प्रलयकारी बाढ़ में मेरा सारा व्यवसाय पूरी तरह ध्वस्त हो गया, तथा बैंक ऋण के अलावे अपनी निजी लगायी गयी पूँजी का भी सर्नाश हो गया । मेरे द्वारा बार-बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी आपके स्तर से उक्त बर्बाद हुए सामानों की विधिवत इंद्री नहीं की गई । तदनुपरांत मेने आपके बैंक पदाधिकारियों की उपस्थिति में ही सभी बर्बाद गये सामानों का लिस्ट बनाकर आपको सुपुर्द किया तथा पावती रसीद मांगने पर पावती रसीद देने से " यह कहकर इंकार कर दिया गया कि सारी प्रक्रिया मेरे समक्ष की गयी है तो पावती का क्या अर्थ है " । आपके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि आपके पूरे क्षति की पूरी भरपाई की जास्गी वूँकि इस प्रलयकारी बाढ़ को राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है।

आपने खुले तौर पर यह स्वीकार किया था कि बैंक के स्तर से प्रक्रिया-त्मक बूक के परिणामस्वरूप आपके दूकान की बीमा नहीं हो सकी । इसलिए इस अश्रमसले का निदान बैंक के माध्यम से एवं उनके भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन के आलोक में हर संभव समस्या का निदान एवं क्षति की भरपायी का प्रयास किया जास्गा । परन्तु आश्चर्य एवं खेद की बात है कि अब आपके स्तर से मेरी समस्याओं के निदान हेतु कोई भी सार्थक कार्य नहीं किया जा रहा है, और अनावश्यक रूप से मुझे ऋण के जंजाल में फँसा दिया गया है।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि मेरे सल्ले एवं समस्या के हल हेतु सार्थक कदम उठाया जाय । अन्यथा बाध्य होकर मुझे न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा।  
प्रतिलिपि :-

- 1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ।
- 2. मुख्य विकास पदा0, मुरलीगंज ।

विश्वासभाजन

उरि केशोर भगत  
मेसर्स " पूजा इन्टर प्राइजेज -  
जिला मुरलीगंज, मधेपुरा  
मुरलीगंज, मधेपुरा  
दिनांक - 17.8.13

<p><b>बीमा नहीं NOT INSURED</b></p> <p>लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य</p> <p>Amount of Stamps affixed</p> <p>एक रजिस्ट्री</p> <p>Received a Registered Letter</p> <p>पानेवाले का नाम</p> <p>Address to</p> <p>पानेवाले का पता</p> <p>Signature of Receiving Officer</p>	<p>क्रमांक</p> <p>पुस्तक संख्या</p> <p>डाक टिकटों का मूल्य</p> <p>एक रजिस्ट्री</p> <p>पानेवाले का नाम</p> <p>Address to</p> <p>पानेवाले का पता</p> <p>Signature of Receiving Officer</p>
<p><b>बीमा नहीं NOT INSURED</b></p> <p>लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य</p> <p>Amount of Stamps affixed</p> <p>एक रजिस्ट्री</p> <p>Received a Registered Letter</p> <p>पानेवाले का नाम</p> <p>Address to</p> <p>पानेवाले का पता</p> <p>Signature of Receiving Officer</p>	<p>क्रमांक</p> <p>पुस्तक संख्या</p> <p>डाक टिकटों का मूल्य</p> <p>एक रजिस्ट्री</p> <p>पानेवाले का नाम</p> <p>Address to</p> <p>पानेवाले का पता</p> <p>Signature of Receiving Officer</p>



Doco-5

प्रति-उत्तर तरफ से - शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुरलीगंज शाखा  
 कार्यालय, जिला-मधेपुरा प्रेषित कालतन नोटिसा दिनांक 11.12.12  
 तरफ से श्री हरिकिशोर भगत पिता अनारचन्द भगत  
 ग्राम-जयरामपुर पो0 मुरलीगंज जिला-मधेपुरा  
 द्वारा- श्री सचिन्द्र महतो, अधिकता व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा ।  
 =====

प्रेषक -  
 अजय कुमार सहाय  
 अधिकता-सह-विधि सलाहकार  
 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया  
 मधेपुरा ।  
 =====

प्रेषित -  
 श्री सचिन्द्र महतो  
 अधिकता  
 व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा ।

महाशय,

शाखा में प्राप्त आपके द्वारा प्रेषित कालतन नोटिसा के आलोक में शाखा में उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया एवं आपके मोवकिल को निर्गत ऋण से सम्बन्धित कागजातों पर हुई बातचीत एवं प्राप्त निर्देश के निश्वस्त आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके मोवकिल द्वारा सही बातों को छिपाकर आपसे मिथ्या कथनों के आधार पर यह नोटिसा निर्गत करवाया है । वास्तविकता यह है कि ऋण सम्पति का बीमा करवाना बैंकिंग विधि में ऋणी का कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर निर्धारित तिथि के अर्वाध में अपने ऋण सम्पति का बीमा करवा कर बीमा की प्राप्त डूपॉलिसी पेपर से सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करवाना है किन्तु आपके मोवकिल द्वारा ऐसा नहीं किया गया जबकि शाखा द्वारा कईबार ऋण सम्पति के बीमा हेतु स्टाक विवरणी की मांग की गई किन्तु आपके मोवकिल द्वारा कभी भी शाखा बैंक को स्टाक का विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया । फलतः स्टाक विवरणी उपलब्ध नहीं होने के कारण शाखा द्वारा बीमा करवाने से संबंधित की जा रही प्रयास सफल नहीं रहा । अतएव शाखा द्वारा आपके मोवकिल के गैर जिम्मेवारान हड़कत के कारण, ऋण सम्पति का बीमा नहीं किया जा सका । ऐसे स्थिति में आपके मोवकिल द्वारा बीमा को लेकर बैंक शाखा के उपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है । जहाँ तक आपके द्वारा निर्गत नोटिस में यह उल्लेख किया जाना कि शाखा द्वारा मोवकिल की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बैंक एक कल्याणकारी संस्था है,

कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से कुछ पैसों व राहत की राशि मिल सके। यह सोचकर मेरा उपरोक्त मुवकिल ने आपसे संपर्क किया तो आपने तो मेरे उपरोक्त मुवकिल को कुतहा ब्रासदी से भी भयंकर ब्रासदी में डाल दिये।

- यह कि आपने मेरे मुवकिल से कहा कि आपके श्रम का बीमा नहीं किया गया है ऐसा क्यों ?

- यह कि अगर किसी श्रमी के श्रम एवं उसके प्रोजेक्ट का बीमा करवाना आपका कार्य एवं कर्तव्य नहीं बनता है तो मैं आपसे इस नोटिफा के वास्ते आपसे क्षमा मांग लूंगा, अन्यथा ये जबाबदेही आपको लेनी पड़ेगी।

- यह कि उस ब्रासदी के बाद मेरा उपरोक्त मुवकिल ने दिनांक 26.9.2008 को भी अपने समस्याओं से अवगत कराकर आपसे निदान की अपेक्षा किये थे कि मेरे श्रम का निष्पादन कर दिया जाय। लेकिन आपने उस वक़्त भी उनके बातों एवं लिखित आवेदन पर ध्यान नहीं दिया।

- यह कि अगर उस वक़्त आप मेरे मुवकिल के बातों पर ध्यान दिये होते तो मेरा मुवकिल 2008 में ही इस समस्या से निजात पा जाते और अभी जो आप अपने श्रम एवं बचाव का विकराल मुँह फैलाकर मेरे मुवकिल के सामने खड़े हैं ऐसी नौबत नहीं आती।

- यह कि आप अगर श्रम निर्गत करते वक़्त ही मेरे मुवकिल के श्रम का बीमा किया होता तो मेरा मुवकिल इस उलझन में नहीं पड़ता और बीमा कंपनी से मिले रुपये से श्रम चुकता हो जाता।

- यह कि सच्चाई यह है कि आपको मेरी गारंटी वाली संपत्ति / जमीन पर घुरी नजर थी जिसके कारण आप अपने कर्तव्य एवं जबाबदेही से मतलब नहीं रखे और हमें समस्या में डालने का नाजायज तरीके तरकीब सोचे।

- यह कि अब यह सचना आपके वश में है कि किस तरह से मेरे मुवकिल के समस्या का हल होगा और जब मेरा उपरोक्त मुवकिल आपसे मिले तो उन्हें

T. C. Dore-21A

**बाढ़ आपदा प्रमाण-पत्र**  
अंचल - मुरलीगंज, सबडिभिजन-मधेपुरा  
जिला - मधेपुरा।

प्रमाण-पत्र सं० - 18 दिनांक 25.12.08

प्रमाणित किया जाता है कि हल्का कर्मचारी, नगर पंचायत, श्री उपेन्द्र प्रसाद यादवजी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अगस्त, 2008 के कोशी प्रलयकारी बाढ़ के दौरान मुरलीगंज नगर क्षेत्र स्थित 'पूजा इन्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री हरि किशोर भगत, पिता - श्री अनारचंद भगत, ग्राम + पोस्ट - मुरलीगंज जयरामपुर का' पूजा इन्टरप्राइजेज में कोशी के बाढ़ का पानी लगभग 4'-5' अन्दर चला गया जिसका इनके दुकान की काफी क्षति हुई।

ह०/-  
प्रखण्ड वि० पदाधिकारी  
सह  
अंचल अधिकारी  
मुरलीगंज, मधेपुरा।

annexed herewith and marked  
as Annexure -5.

13. That it is relevant to state here that the petitioner also filed representation before the Respondents No. 2 & 3 on 20.08.2013, narrating the entire facts including the illegal act of the Respondent No. 4. Significant to state here that the petitioner in his representation dated 20.08.2013 made categorical statement regarding illegal and unauthorized act of the Respondent No. 4.

True typed/photocopies of the  
representation dated  
20.08.2013 along with  
registration receipts annexed  
herewith and marked as  
Annexure -6 series.

14. That it is relevant to state here that the action of the Respondent No. 4 is per-se illegal, unauthorized and without jurisdiction, as the Respondent No. 4 instead of making of recovery from Insurance Company, stake entire

claim upon the petitioner. In fact, the Respondents No. 3 & 4 in order to harass and put unwarranted impediment, made such unwarranted claim upon the petitioner. The impugned notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) is nothing, but an abuse of process of law. The Respondents No. 3 & 4 deliberately and intentionally not considering the claim of the petitioner only in order to attach the security and the establishment of the petitioner.

15. That the petitioner having no alternative or efficacious remedy than to invoke the jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of his grievance.
16. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court and the relief sought for in paragraph 1 of the instant writ application.

It is therefore prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) by the Respondent No. 5, because the Respondents No. 4 & 5 while issuing notice, stake claim of Rs. 7,23,082/- calculated upto 31.10.2012, without considering the fact that entire establishment of M/s Puja Enterprises, Murliganj, Madhepura was totally ruined during the unprecedented flood of 2008, hence the notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) be declared as per-se illegal, unauthorized, malafide and colourable exercise of power at the behest of the Respondents No. 4 & 5.

- II. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the notice issued under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second)

before the Respondent No. 4 in order to ventilate the grievances of the petitioner.

7. Annexure -6 series-That the petitioner also filed representation **(20.08.2013)** before the Respondents No. 2 & 3 on 20.08.2013, narrating the entire facts including the illegal act of the Respondent No. 4.

Hence, instant writ application.

categorically pointed out "प्रमाणित किया जाता है कि हल्का कर्मचारी, नगर पंचायत, श्री उपेन्द्र प्रसाद यादवजी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अगस्त, 2008 के कोशी प्रलयकारी बाढ़ के दौरान मुरलीगंज नगर क्षेत्र स्थित 'पूजा इन्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री हरि किशोर भगत, पिता - श्री अनारचंद भगत, ग्राम + पोस्ट - मुरलीगंज जयरामपुर का' पूजा इन्टरप्राइजेज में कोशी के बाढ़ का पानी लगभग 4'-5' अन्दर चला गया जिसका इनके दुकान की काफी क्षति हुई" but the Respondent No. 4 & 5 in complete ignorance of the report submitted by the Respondent No. 3, proceeded against the petitioner. Hence, the action pertaining to Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Ordinance, 2002 (No. 3 of 2002) be quashed, as the petitioner made his request to compensate the loss incurred to the petitioner.